



लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद्
(ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तत्त्वस्थान में)
भारत पर्यवास केन्द्र, जोन - 5 ए (कोर-सी), द्वितीय तल
लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003.

Council for Advancement of People's Action
and Rural Technology
(Under the aegis of Ministry of Rural Development, Govt. of India)
(India Habitat Centre, Zone-5A (Core-C), 2nd Floor
Lodhi Road, New Delhi-110 003.

सं० 1-8/2012-ईडी

दिनांक: 31 अगस्त, 2012

अ धि सू च ना


लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कपार्ट) की संस्था अन्तर्नियमावली के साथ पठित लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् की नियमावली के नियम-42(iv) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष द्वारा कपार्ट की कार्यकारिणी समिति के निम्नलिखित सदस्यों को वित्त एवं नियुक्तियों की स्थायी समिति में नामित किया जाता है:

1. प्रो० आई.वी. त्रिवेदी
विश्वास संस्थान
51 अशोक नगर, उदयपुर (राजस्थान)
2. श्री एस. अली ताहिर रिजवी, आईएएस (सेवानिवृत्त)
3/1, विजय खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ - 226 001

लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कपार्ट) की संस्था अन्तर्नियमावली के साथ पठित लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् की नियमावली के नियम-42 के अनुसार, वित्त एवं नियुक्तियों की स्थायी समिति का गठन अब इस प्रकार होगा:

1. महानिदेशक - अध्यक्ष
लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कपार्ट)
जोन- 5ए, द्वितीय तल
भारत पर्यवास केन्द्र,
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003
2. अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
कृषि भवन, नई दिल्ली
3. संयुक्त सचिव (कपार्ट से संबंधित)
ग्रामीण विकास मंत्रालय
कृषि भवन, नई दिल्ली

4. प्रो० आई.वी. त्रिवेदी
विश्वास संस्थान
51, अशोक नगर, उदयपुर (राजस्थान)
5. श्री एस. अली ताहिर रिजवी, आईएएस (सेवानिवृत्त)
3/1, विजय खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ - 226 001


(मनोज कुमार)
प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. वित्त एवं नियुक्तियों की स्थायी समिति के सभी सदस्य।
2. ग्रामीण विकास मंत्री के निजी सचिव, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. राज्य मंत्री (प्रा. वि.-पीजे) के निजी सचिव, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4. राज्य मंत्री (प्रा. वि.-एसए) के निजी सचिव, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. राज्य मंत्री (प्रा. वि.-एसएस) के निजी सचिव, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6. सचिव (ग्रामीण विकास) के प्रधान निजी सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
7. मुख्य सूचना अधिकारी (आरटीआई)/प्रणाली प्रबंधक (आईटीडी)।
8. कर्पाट के सभी विभागाध्यक्ष/निर्वतमान क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी
9. महानिदेशक के कार्यकारी सचिव/उपमहानिदेशक (एस) के कार्यकारी सचिव/मुख्य सतर्कता अधिकारी के वरिष्ठ कार्यपालक सचिव
10. गार्ड फाईल/कार्यालय आदेश फोल्डर